तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज खेमसिंह बनाम लो.सू.अ. (उपखण्ड अधिकारी लूणी) सू.अ.अ. अपील संख्या 126 / 2019	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
13.08.19	पत्रावली पेश हुई। अपीलार्थी खेमसिंह पुत्र गणपतसिंह निवासी शिकारपुरा तहसील लूणी ने सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 13.06.19 में उसके द्वारा (1) उपखण्ड अधिकारी लूणी के कार्यालय में वर्ष 2018–19 में श्री हनुमानसिंह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी (हेल्पर) जो जनस्वास्थ अभियांत्रिक विभाग जोधपुर को प्रतिनियुक्ति पर लगाया गया है। प्रतिनियुक्ति आदेश की नियमानुसार प्रमाणित छाया प्रति उपलब्ध कराने, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी लूणी) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (उपखण्ड अधिकारी लूणी) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। अपीलार्थी आज अनुपस्थित। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.(उपखण्ड अधिकारी लूणी) से जरिये पत्रांक 78 दिनांक 09.08.19 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें अवगत कराया कि प्रार्थी द्वारा हनुमानसिंह चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के इस कार्यालय में प्रतिनियुक्ति किये जाने की आदेश की प्रति चाही गई थी, कार्यालय में उपलब्ध जावक पंजिका की छायाप्रति संलग्न कर भिजवाई जा रही है साथ ही मूल आदेश की तलाश की जा रही है। लोक सूचना अधिकारी से प्राप्त रिपोर्ट से स्पष्ट होता है कि चाही गई सूचना का रिकॉर्ड वर्ष 2017 से संबंधित का ही है तथा प्रार्थी को मूल आदेश की सूचना नहीं दी गई, न पत्रावली उपलब्ध नहीं होने बाबत् सूचित नहीं किया गया है तथा मात्र जावक पंजिका की फोटो प्रति इस कार्यालय को प्रेषित कर दी गई है अतः लोक सूचना अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी लूणी) को निर्देशित किया जाता है कि चाही गई सूचना से संबंधित रिकॉर्ड की शीघ्र तलाश कर प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराई जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	